UPFR010001022004

S.s.t. (d.a.a.)/400154/2004 Fatehgarh

State Government Vs. ekrar Others

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (द०प्र०क्षे०),तृतीय अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश फर्रूखाबाद।

उपस्थितः– शैलेन्द्र सचान–––––––––एच०जे०एस०। J.O.Code–UP2406

विशेष सत्र परीक्षण सं०–154/2004

राज्य

बनाम

1– इकरार पुत्र शब्बीर निवासी कितवई नगर कस्वा व थाना गुरसहायगंज जिला कन्नौज।

2– अजय सिंह उर्फ बादशाह पुत्र अनवर सिंह बाईपास रोड रेलवे क्रासिंग के पास थाना गुरसहायगंज जिला कन्नौज। **(अभियुक्त की मृत्यु होने के कारण न्यायालय के आदेश दिनांक 22–09–2010 के माध्यम से कार्यवाही उपशमित)**

अ०स०–341/2004

धारा–394,412 भा०द०सं०

थाना– फतेहगढ ,

जिला फर्रूखाबाद।

निर्णय

1– थाना फतेहगढ की पुलिस द्वारा अभियुक्तगण अजय सिंह उर्फ बादशाह, इकरार व मो० कासिम के विरुद्ध धारा– 394,412 भा०द० सं० के अन्तर्गत आरोप पत्र विचारण हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया,प्रसंज्ञान लेने के पश्चात प्रकरण को विशेष सत्र परीक्षण सं० 154/2004 के रूप में दर्ज किया गया। तदुपरान्त अभियुक्तगण को नकले प्रदान की गयी तथा विचारण की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। तत्पश्चात अभियुक्त अजय सिंह

Digitally signed by SHAILENDRA SACHAN
Date: 2026.07.20 16:41:28 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

उर्फ बादशाह की मृत्यु हो जाने के कारण न्यायालय के आदेश दिनांकित 22–09–2010 के माध्यम से उसकी विरूद्व कार्यवाही उपशमित की गयी तथा अभियुक्त मो० कासिम द्वारा स्वंय का जुर्म इकवाल करने के कारण उसकी पत्रावली अन्य अभियुक्त से न्यायालय के आदेश दिनांकित 06–10–2023 के माध्यम पृथक कर एस०एस०टी० नं० 154A/2004 में दर्ज की गयी तथा निर्णय दिनांकित 17–10–2023 के माध्यम से जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त मो० कासिम को दोषसिद्व किया गया।

2– वादी संतोष कुमार सचान उर्फ अजय सचान की तहरीर के आधार पर अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी किराए के मकान 159W–2–जुही कला कानपुर नगर में रहता है। वादी जिलाधिकारी फर्रूखाबाद के निर्देशानुसार लघु सिचांई विभाग फर्रूखाबाद में गहरी वोरिंग का कार्य करता है। वोरिंग के कार्य से दिनांक 22–05–2004 धनवरी सिंह चौहान पुत्र गोकुल सिंह हथौडावन थाना पटियाली जिला एटा की मोटर साइकिल संख्या UP 82D 3367 से कल्लू फौजी निवासी सातनपुर मंडी समित फर्रूखाबाद की वोरिंग देखकर समय लगभग 08:30 बजे घटियाघाट जा रहा था कि मसेनी चौराहा एवं ओवर व्रिज के बीच कुछ अज्ञात बदमाशों ने घेरकर मोटर साइकिल रोक ली तथा तमंचे की बट से सर फोड दिया। उसके बाद उसे व उसके साथ मोटर साइकिल चला रहे धनवीर सिंह चौहान को जबरदस्ती सडक से खेतों की तरफ खींच लिया, बदमाशों की संख्या 6 थी। सभी के हाथ में तमंचे थे जिसकी बटों से मारते रहे जब वह बिल्कुल ढीला पड गया तो उसके पास रखे 1750 रूपये एवं दो तोला सोने की चैन , एक अंगूठी पांच ग्राम सोने की , मोबाइल संख्या 9415042355 उससे छीन लिया एवं उसके साथ मोटर साइकिल चला रहे धनवीर सिंह चौहान के सात सौ रूपया भी छीन लिए। इसके बाद बदमशों ने दोनो लोगों की शर्ट उतरवाकर दोनो हाथ पीछे की तरफ करके बांध दिए उसके बाद चार बदमाश दोनो को तमंचे लगा कर घेरे रहे, इसी बीच दो बदमाश सडक पर खडी मोटर साइकिल उपरोक्त लेकर सेन्ट्रल जेल की तरफ भाग गए तब उन्हें घेरे चार बदमाश फतेहगढ फर्रूखाबाद रोड की तरफ भाग गए। किसी प्रकार अपने हाथ खोले तथा चौहान ने भी अपने हाथ खोले एवं भाग कर कोतवाली आकर तहरीर दी।

3– वादी की तहरीर के आधार पर घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट सम्बन्धित थाना में पंजीकृत की गयी। इस मुकदमें की विवेचना विवेचक को सुपुर्द की गयी तथा विवेचक ने घटना स्थल पर जाकर सम्बन्धित कागजात तैयार किए। विवेचक द्वारा घटना

स्थल का निरीक्षण करके नक्शा नजरी बनाया गया, गवाहों के बयान लिये गये । अभियुक्तगण इकरार , मो० कासिम एवं अजय सिंह कसे दिनांक 10–07–2004 को लूटी गयी मोटर साइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया। प्रथम विवेचक द्वारा घटना को झूठा पाकर अंतिम रिपोर्ट लगायी गयी । क्षेत्राधिकारी सदर के आदेश पर अग्रिम विवेचना की गयी। अंतिम विवेचक द्वारा अभियुक्तगण इकरार , मो० कासिम एवं अजय सिंह के विरूद्व धारा 394, 412 भा०द०स० के तहत आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

4– अभियुक्तगण अजय सिंह उर्फ बादशाह, इकरार व मो० कासिम के विरुद्ध धारा 394, 412 भा०द० सं० के अन्तर्गत आरोप दिनांक 08–12–2006 को इस न्यायालय द्वारा विरचित किया गया। उक्त आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाये व समझाये गये। अभियुक्तगण ने आरोप से इन्कार किया और विचारण की मांग की। तत्पश्चात अभियुक्त अजय सिंह उर्फ बादशाह की मृत्यु हो जाने के कारण न्यायालय के आदेश दिनांकित 22–09–2010 के माध्यम से उसकी विरूद्व कार्यवाही उपशमित की गयी तथा अभियुक्त मो० कासिम द्वारा स्वंय का जुर्म इकवाल करने के कारण उसकी पत्रावली अन्य अभियुक्त से न्यायालय के आदेश दिनांकित 06–10–2023 के माध्यम पृथक कर एस०एस०टी० नं० 154A/2004 में दर्ज की गयी तथा निर्णय दिनांकित 17–10–2023 के माध्यम से जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त मो० कासिम को दोषसिद्व किया गया।

5– अभियोजन की ओर से मौखिक साक्ष्य में साक्षी पी०डब्लू० 1 धनवीर सिंह चौहान , पी०डब्लू० 2 संतोष कुमार सचान, पी०डब्लू० 3 से०नि० उ०नि० गौतम कुमार , पी०डब्लू० 4 सी०ओ०सदर विनय कुमार को परीक्षित कराया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी को अभियोजन की तरफ से परीक्षित नही कराया गया है।

6– अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य निम्नवत है–

क्र० स०	**साक्षी**	**साक्षी का नाम**	**का०स०, प्रपत्र का नाम**	**प्रदर्श स०**
1	पी०डब्लू० 2	संतोष कुमार सचान	तहरीर का०स० 4A	प्रदर्श क 1
2	पी०डब्लू० 4	क्षेत्राधिकारी सदर विनय कुमार	फर्द बरामदगी का०स० 5A	प्रदर्श क 2
3	पी०डब्लू० 4	क्षेत्राधिकारी सदर विनय	आरोप पत्र का०स० 3A	प्रदर्श क 3

		कुमार	को एस० आई० ब्रह्म प्रकाश शर्मा के लेख व हस्ताक्षर में होने की पुष्टि करते हुए द्वितीयक साक्ष्य के रूप में साबित किया गया है।	
4	पी०डब्लू० 4	CO Sadar विनय कुमार	चिक एफ०आई०आर० का०स० 4A को ललित किशोर पाण्डेय के लेख व हस्ताक्षर में होने की पुष्टि करते हुए द्वितीयक साक्ष्य के रूप में साबित किया गया है।	प्रदर्श क 4
5	पी०डब्लू० 3	उ०नि० गौतम कुमार	नक्शानजरी का०स० 6A को SHO एसएस भारद्धाज के लेख व हस्ताक्षर में होने की पुष्टि करते हुए द्वितीयक साक्ष्य के रूप में साबित किया गया है।	प्रदर्श क 5
6	पी०डब्लू० 3	उ०नि० गौतम कुमार	कायमी जी०डी० की कार्बन प्रति का०स० 5A/1 को C/C 404 ललित कुमार पाण्डेय के लेख व हस्ताक्षर में होने की पुष्टि करते हुए द्वितीयक साक्ष्य के रूप में साबित किया गया है।	प्रदर्श क 6

7– अभियुक्त इकरार के बयान अन्तर्गत धारा 313 दं० प्र० सं० दिनांक 09.02.2026 को अंकित किये गये। जिसमें अभियुक्त ने अभियोजन कथानक को गलत बताते हुए कहा है कि उसे पुलिस घर से पकड लायी तथा मुकदमें में फसा दिया। उसके पास से कोई मोटर साइकिल बरामद नही हुयी है तथा न ही मोटर साइकिल चला पाता है। साक्षी पी०डब्लू० 1 धनवीर सिंह चौहान के साक्ष्य के सम्बन्ध में कहा है कि उसे घटना की कोई जानकारी नही है। पी०डब्लू० 2 संतोष कुमार सचान के साक्ष्य के सम्बन्ध में कहा है कि न्यायालय के कटघरे में मौजूद था । पुलिस के सिपाही ने उसे कटघरे में पहुचाना था तथा कहा था कटघरे में खडा व्यक्ति ही मुल्जिम है जिसकी बजहसे साक्षी ने उसे गलत पहचाना है व लूट में शामिल होना बताया है। उसकी दौरान विवेचना कोई शिनाख्त नही करायी गयी है। गलत बयान दिया जाना कहा है। पी०डब्लू० 3 से०नि० उ०नि० गौतम कुमार के साक्ष्य के सम्बन्ध में कहा है कि उसके पास से कोई बरामदगी नही हुयी है तथा गलत रूप से सभी प्रपत्र तैयार किए है एवं झूठा बयान दिया है। यह भी कहा है कि गलत रूप से गलत प्रपत्र साबित किए है, इनके द्वारा कोई प्रपत्र तैयार नही किये गए है, गलत बयान दिया है। पी०डब्लू० 4 सी०ओ०सदर विनय कुमार के साक्ष्य के सम्बन्ध में कहा है कि सही जाँच नही की है तथा फर्जी रूप से बरामदगी दर्शायी है। गलत बयान दिया है। बिना साक्ष्य के दाखिल आरोप पत्र को साबित किया है। अभियुक्त द्वारा बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा तथा अतिरिक्त कथन में कहा है कि वह बेगुनाह व निर्दोष है। उसके विरोधियों ने पुलिस से मिलकर उक्त मुकदमें में झूठा फसवा दिया है। उसने कोई घटना कारित नही की है। पुलिस ने सही जाँच नही की।

8– बचाव पक्ष की तरफ से अपने समर्थन में कोई भी मौखिक एवं लिखित साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है।

9– **अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 1 धनवीर सिंह चौहान** ने अपने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 22.05.04 अजय सचान उर्फ संतोष सचान जो बोरिंग के पंजीकृत ठेकेदार है, के साथ सातनपुर से घटियाघाट समय लगभग 8:30 बजे जा रहा था। मसेनी चौराह व नेकपुर के बीच मे कुछ अज्ञात बदमाशो ने घेर कर उसकी मोटर साइकिल रोक ली । उसकी मोटर साइकिल के पीछे अजय सचान बैठे थे। मोटरसाइकिल उसके चचिया ससुर राजपाल सिंह की थी। जिसे उसने खरीदा था जो यामहा क्रास्क कम्पनी की लाल रंग की थी। जिस का नम्बर UP82D3367 था। अज्ञात बदमाश उसे व अजय सचान

को पकड़कर सड़क के नीचे ले गये और मोटरसाइकिल गिरा दी । उसे व अजय सचान को भट्टे की तरफ ले गये तथा उसके सिर पर तमंचा की बट मार दी जिससे उसका सिर फट गया और उसके पास से 700/-रु० व मोटरसाइकिल व अजय सचान से 17000/- रुपये व सोने की एक अंगूठी व मोबाइल लूट ली और उन दोनो लोगो को डंडो से मारा पीटा। इस के बाद उन दोनो लोगो की शर्ट उतार कर दोनो हाथ पीछे की ओर बांध दिये। उसके बाद चार बदमाश तमंचा लगाकर उन लोगो को घेरे रहे इसी बीच दो बदमाश सड़क पर रखी उसकी मोटरसाइकिल UP82D3367 को सेन्ट्रल जेल की ओर लेकर भाग गये। इसके बाद उन लोगो ने किसी प्रकार अपने हाथ खोले। चार बदमाश फतेहगढ फर्रूखाबाद की ओर भाग गये तब वे लोग कोतवाली फतेहगढ गये। वहां से लोहिया अस्पताल फर्रूखाबाद अपना इलाज कराय़ा था । घटना के संबंध में उसके साथी संतोष कुमार सचान उर्फ अजय सचान ने तहरीर लिखाकर थाने पर दी थी। उसके बाद उसकी मोटर साइकिल पुलिस द्वारा बदमाशो से बरामद हुई। घटना के संबंध में पुलिस ने उसके बयान लिये थे जो घटना हुई थी उसने पुलिस को बताई थी । वही घटना उसने आज न्यायालय में बताई है।

पी०डब्लू० 1 धनवीर सिंह चौहान सिंह द्वारा स्वंय की जिरह में कथन किया गया है कि वह घटना करने वालों को पहचान नही पायेगा । घटना रात्रि की है तथा वह घटना करने वालों को देख नही पाया था। घटना करने वाले कितने उम्र के रहे होगों वह अन्दाजे से भी नही बता सकता है। घटना करने वालों की संख्या 06 थी। उसके सिर के उपरी हिससे पर एक चोट थी कपडों पर कोई खून नही लगा था, संतोष कुमार सचान के कोई चोट नही थी। लूटी गयी मोटर साइकिल उसे मिल गयी है लेकिन अदालत में लेकर नही आया है। घटना रात की इसलिए घटनास्थल की चौहददी उसे याद नही है। उससे जो 700/- रूपये लूटे गए थे वह दूसरे दिन खेत में पडे मिल गए थे।

10- **अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 2 संतोष कुमार सचान** ने अपने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि घटना के समय वह लघु सिचाई विभाग में जिलाधिकारी महोदय द्वारा पंजीकृत उसकी फर्म संतोष कुमार सचान रिंग बोरिंग सेन्टर कुसरखापुर पुखरावा कानपुर देहाथ के द्वारा कृषको के निजी नलकूप में गहरी बोरिंग का कार्य करता था जिसके संबंध में फर्रूखाबाद अक्सर आता रहता था। जो फर्म उसकी थी उसको कार्य हेतु फर्रूखाबाद व कन्नौज जिला नामित थे। घटना दिनांक 22.05.04 के समय 8:30 बजे शाम की है वह मण्डी समिति के बगल से फौजी के ट्यूववेल का निरीक्षण करके सेन्ट्रल जेल चौराह होते

हुए घटियाघाट के लिए वापस आ रहा था। घटियाघाट में विभाग के एक बाबू रहते है उनके पास जा रहा था। उसके साथ धनवीर सिंह चौहान मशीन मिस्त्री था, जिसकी मोटर साइकिल से घटियाघाट की ओर जा रहे थे। जब वह लोग नेकपुर वाले पुल के आगे बढे तो पुल के आगे लगभग 50–60 मीटर की दूरी पर छ लोग खडे थे जैसे ही वह पास पुहंच वैसे ही उन्होने उसकी मोटर साइकिल को घेर लिया। उस समय मोटरसाइकिल में लाइट जल रही थी। मोटरसाइकिल की रोशनी में उसने 2–3 व्यक्तियों को देख लिया था। जैसे ही मोटरसाइकिल रोकी एक व्यक्ति ने चाबी मोटरसाइकिल की छीन ली व 2–3 लोगो को उन लोगो को पकड़ लिया। उन लोगो को वह लोग 40–50 फीट रोड से हटकर 100 मीटर दूर ले गये। उन लोगो की बेल्टों, डंडो व तमंचे की बटों से मारपीट की। उसके पास से एक सोने की चैन एक अंगूठी व एक मोबाइल व जेब में रखे 17500/–छीन /लूट लिया। उसका मोबाइल न० 9415042355 था जो आज भी उसके पास मौजूद है। धमर्वीर के पास 700–800 रुपये थे। उन लोगो के पास लूट करने के बाद पहनी शर्ट को उतार कर दोनो लोगो के अलग अलग हाथ बांध दिये व दो आदमी मोटरसाइकिल जो खडी उसे ले गये। मोटर साइकिल उठाकर दो लोग भाग गये तथा बाकी लोग उन लोगो को घेरे खडे थे। उनके भागने के बाद वह चारो लोग पूर्व दिशा की ओर भाग गये। उन लोगो ने एक दूसरे के सहयोग से हाथ खोले तथा रोड़ पर आकर शोर शराबा किया । वे लोग मशेनी चौराह जाकर जो उसके बाबू ओपी थे उन्हें पी सी ओ से फोन किया , ओपी बापू आ गये तथा उसने पुलिस को सूचना थाने आकर दी। पुलिस ने उन लोगो की रिपोर्ट नही लिखी , मेडिकल को पहले भेज दिया। दूसेर दिन पुनः थाने लगभग 11:00 बजे गये थे , परन्तु पुलिस एफ आई आर लिखने में आना कानी कर रही थी। इसी बीच प्रिन्ट मीडिया को पता चला तो मीडिया थाने में आ गयी, तब जाकर शाम 4:00 बजे एफ आई आर पंजीकृत की गयी। पत्रावली मे शामिल पेपर संख्या 4A तहरीर प्रार्थना पत्र जो उसके ही लेख व हस्ताक्षर में है को देखकर साक्षी ने कहा कि यह वही तहरीर है जो उसने थाने पर पुलिस वालो को अपने लेख व हस्ताक्षर में लिखकर दी थी। वह अपने लेख व हस्ताक्षर की पहचान व पुष्टि करता है जिस पर **प्रदर्श क 1** डाला गया। हाजिर अदालत मुल्जिमान इकरार व कासिम को देखकर साक्षी ने कहा कि लूट के समय यह दोनो व्यक्ति मौजूद थे। दरोगा जी ने उसके घटना के बाबत बयान लिये थे तथा घटनास्थल पर भी गये थे।

पी०डब्लू० 2 वादी मुकदमा संतोष कुमार सचान द्वारा स्वंय की जिरह में कथन किया गया है कि मोटर साइकिल के अलावा जो रूपये , सोने की चैन, अंगूठी व मोबाइल लूटा गया था वह किसी अभियुक्त से बरामद नही हुआ है। इस साक्षी द्वारा स्वीकार किया गया है कि वह शिनाख्त करने जेल नही गया था। उसके द्वारा घटन वाले दिन बदमाशों को देखा गया था, उसके बाद कभी नही देखा। बदमाशों का हुलिया उसने तहरीर में लिखाया था या नही, उसे याद नही है। घटना करने वाले बदमाश 5–6 फुट के थे। न्यायालय में कटघरे में दो मुल्जिमान खडे है, उसे जानकारी हुयी है कि यही इस मुकदमें के मुल्जिम है। बदमाश घटना के समय पैंट शर्ट पहने थे किस रंग की पहने थे जानकारी नही है। जिस खेत मे बदमाश उसे ले गए थे उसमें घनघोर अंधेरा था। वह नही बता सकता है कि किस बदमाश ने चैन लूटी , किसने अंगूठी लूटी। अधेरा होने के कारण वह यह भी नही देख पाया था कि बदमाशों में कितने गोरे थे कितने काले थे। मारपीट में उसके सिर, पीठ , गाल व छाती पर चोटे आयी थी। इस समय उसे याद नही है कि वह डाक्टरी हेतु कितने बजे अस्पताल गया था। बाद में साक्षी द्वारा कहा गया कि वह नही बता सकता कि उसके शरीर में कितने चोटे आयी थी, सिर के अलावा किसी और चोट से खून नही निकला था। वह अस्पतला में भर्ती नही हुआ था। वह आज गवाही देने 12–1 बजे के मध्य आ गया था तब उसे जानकारी हुयी थी कि बदमाश भी आज न्यायालय में मौजूद है। इस साक्षी द्वारा कहा गया है कि जो मोटर साइकिल लूटी गयी थी वह हीरो होण्डा लाल रंग की थी। उसने तहरीर में लूटे गए मोबाइल का मॉडल, कम्पनी नही लिख पाया था। धनवीर सिंह चौहान ने उसे फोन से बताया था कि मोटर साइकिल मिल गयी है उस समय वह कानपुर में था। सूचना मिलने के अगले दिन वह फर्रूखाबाद आया था। पुलिस ने थाने के अन्दर हीरो होण्डा मोटर साइकिल दिखायी थी तथा तीन चार मुल्जिमानों को भी थाने के लॉकप में दिखाया था। मोटर साइकिल में नम्बर प्लेट लगी थी नम्बर लिखा था। घटना के तीन चार महीने बाद उसने थाने में मुल्जिमान को देखा था पुलिस ने उसे कुछ बदमाशों के नाम बताए थे जिसमें एक मुसलमान नाम कासिम था और याद नही । उसे याद नही है कि पुलिस ने कोई लिखा पढी की थी या नही। जिन मुल्जिमानों को लॉकप में दिखाया गया था उनके सिर खुले हुए थे। लॉकप में देखने के बाद उसने मुल्जिमानों को कभी नही देखा है। उसने अपनी तहरीर में बदमाशों की कद काठी नही बतायी थी लेकिन बाद में दरोगा जी को बताया था। घटना के बाद उसने मसेनी चौराहे के पी०सी०ओ० से ओ०पी० बाबू के मोबाइल नम्बर

9415453541 पर फोन किया था । थाने पर उसने प्रार्थना पत्र स्वंय लिखा था रिपोर्ट की नकल उसे दूसरे दिन शाम को मिली थी। प्रार्थना पत्र पर उसके हस्ताक्षर पुलिस ने कराए थे उसे नही मालूम कि पुलिस ने रिपोर्ट लिखी या नही क्योंकि उसे मेडिकल कराने भेज दिया था। इस साक्षी द्वारा कहा गया है कि उसने घटना वाले दिन ही रिपोर्ट लिखायी थी दूसरे दिन नही लिखायी थी। इस साक्षी द्वारा जिरह में स्पष्ट कहा गया है कि अस्पताल में उसका व धनवीर सिंह चौहान का डाटरी मुआयना हुआ था या नही उसे ध्यान नही। पुलिस ने इस आशय की कि " मुल्जिमान पकडे है शिनाख्त कर लो "मुझे सूचना नही दी थी। उसने लूटे गए मोबाइल के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई भी कागज विवेचक को नही दिए थे क्योंकि विवेचक ने कोई कागज नही मांगे थे।

11– **अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 3 सेवानिवृत्त उप० नि० गौतम कुमार** ने अपने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 10.07.04 को वह थाना कमालगंज में एस आई के पद पर कार्यरत था। उसी दिन वह, एस ओ विनय कुमार , का० महेश चन्द्र, का० सुखवीर सिंह के साथ सरकारी जीप व चालक के साथ थाना हाजा पर दर्ज मुकदमा अ०स० 550/04 अन्तर्गत धारा 302, 342, 394Ipc के मामले में विवेचना में मशरूफ थे। जब रजीपुर पहुंचे, जरिए मुखविर सूचना मिली कि तीन चार व्यक्ति एक चोरी की मोटरसाइकिल लिये जरारी रोड पर दरौरा मोड़ के पास खड़े है। सूचना पर उन सभी लोगो ने जनता के गवाहन फरहाम करने के प्रयास किया परन्तु कोई तैयार नहीं हुआ और उन लोगो ने आपस मे एक दूसरे को जामा तलाशी दी, जिससे यकीन हो गयी कि किसी के पास कोई अवैध मोटरसाइकिल व हथियार नहीं है और वे सभी लोग मुखविर के साथ उसके द्वारा बताये गये जरारी रोड होते हुए दरौरा रोड के पास पहुंचे, मुखविर इशारा करके चला गया और मौके पर खड़े मुल्जिमान उन पुलिस वालो को देख दरौरा खडंजे की ओर भागने लगे, तो उन सभी लोगो ने पीछा करके दरौरा मोड़ से लगभग तीस कदम की दूरी पर समय लगभग 1:30 बजे दिन तीन व्यक्तियों को मौके से पकड़ लिया । जिनके नाम क्रमशः इकरार , अजय सिंह व कासिम थे। इनके कब्जे से एक मोटरसाइकिल क्राक्स महरूम रंग की बिना नम्बर प्लेट की बरामद हुई और इस मोटरसाइकिल के संबंध में जब पूंछा तब बताया कि यह मोटरसाइकिल उन लोगो ने ओवरब्रिज मसैनी से लूटी थी और इस लूट में उन लोगो के साथ चौथा साथी बब्लू मसीह उर्फ राजू मसीह भी शामिल था । इन अभियुक्तगणो की जामा तलाशी ली गयी तो अभियुक्त अजय सिंह की पहनी पेंट की बांयी फेंट से एक 315 बोर

तमंचा व पैंट की बांयी जेब से जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद किया। अभियुक्त इकरार की जामा तलाशी में उसकी पैंट की दाहिनी फेंट से एक अदद तमंचा 315 बोर व दाहिनी जेब से एक जिन्दा कारतूस 315 वोर बरामद हुआ और मौके पर बरामद माल की फर्द दो प्रतियों में तैयार की गयी थी। जिसे उसने एस एच ओ के बोलने पर अपने हस्तलेख में तैयार किया था। बरामद तमंचो को सील सर्व मोहर किया गया था तथा नमूना मोहर तैयार किया था। मौके पर उन पुलिस वालो ने वहां गिरफ्तार अभियुक्तों के हस्ताक्षर कराये थे और फर्द पर उसने व पुलिस टीम ने हस्ताक्षर किये थे। इस कार्यवाही के संबंध में विवेचक द्वारा उसके बयान लिये गये थे।

इस साक्षी ने द्वितीयक साक्षी के रुप में मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह इस मुकदमें के प्रथम विवेचक एस एच ओ एस एस भारद्वाज के साथ तैनात रह चुका है। इन्हें उसने लिखते पढ़ते देखा है । इसलिए वह इनके लेख व हस्ताक्षर से परिचित है। मुकदमें के प्रथम विवेचक एस एच ओ एस एस भारद्वाज के संबंध में पत्रावली में आख्या आयी है जिसमें बताया गया कि उनकी तबियत खराब है और वह चलने फरिने में असमर्थ है। एस एच ओ द्वारा इस मुकदमें में विवेचना की गयी थी और उनके द्वारा घटना का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया गया था। जो पत्रावली मे दाखिल का०स० 6A के रुप मे सलग्न है जिसे देखकर साक्षी ने कहा कि यह नक्शा नजरी एस एच ओ एस एस भारद्वाज के लेख व हस्ताक्षर मे है जिसकी वह पुष्टि करता है, जिस पर **प्रदर्श क 5** डाला गया । का० क्लर्क 404 ललित कुमार पाण्डे भी उसके साथ तैनात थे, जिसके द्वारा इस घटना की चिक एफ आई आर व जीडी कायमी तैयार की गयी थी। ललित कुमार उनके साथ तैनात रह चुके है , इन्हें उसने लिखते पढ़ते देखा है । इसलिए वह इनके लेख व हस्ताक्षर से परिचित है। इनकी मृत्यु हो चुकी है इसकी आख्या पत्रावली में उपलब्ध है । इनके द्वारा तैयार की गयी जीडी कायमी की कार्बन प्रति पत्रावली मे उपलब्ध का०स० 5A/1 के रुप में संलग्न है जो का० क्लर्क 404 ललित कुमार पाण्डे के लेख व हस्ताक्षर मे है, जिसकी वह पुष्टि करता है। जिस पर **प्रदर्श क 6** डाला गया।

साक्षी पी०डब्लू० 3 उ०नि० गौतम कुमार द्वारा स्वंय की जिरह में कहा गया है कि इस मुकदमें "मु०अ०स० 341/04" में विवेचक द्वारा दिनांक् 09-06-04 को अंतिम आख्या लगा दी गयी थी। उसे जानकारी नही है कि प्रस्तुत प्रकरण की पुनः विवेचना हेतु वरिष्ठ अधिकारी द्वारा आदेश किया गया या नही। गिरफ्तारी के पहले उसे लूटी गयी

मोटर साइकिल का नम्बर, इंजन नंम्बर, चेसिस नम्बर व निर्माण वर्ष की जानकरी नही थी।

न ही अन्य लूटे गए सामान की जानकारी थी। दिनांक 10–07–04 को थाना कमालगंज से जिस रपट नम्बर पर रवाना हुआ था वह आज लेकर नही आया है। रपट पत्रावली मे दाखिल है। जब साक्षी को पत्रावली देखकर रवानगी जी०डी० दिखाने को कहा गया तो साक्षी पत्रावली देखकर उक्त रवानगी जी०डी० को दिखा नही सका तथा यह स्वीकार किया गया है कि रवानगी जी०डी० पत्रावली में मौजूद नही है बल्कि उसका उल्लेख सी०डी० में सी०डी० नं० 19 समय 9:30 बजे अंकित है। इस साक्षी द्वारा स्वीकार किया गया है कि गिरफ्तारी के समय किसी भी मुल्जिमान के पास से किसी प्रकार के जेवरात व लूटे गए रूपये बरामद नही हुए थे। मुल्जिमान ने लूट की घटना करना उसके सामने स्वीकार किया था लेकिन उसके द्वारा मुल्जिमानों का धारा 164 द०प्र०स० का बयान अंकित कराने हेतु विवेचनाधिकारी से निवेदन नही किया गया था। इस साक्षी द्वारा स्वीकार किया गया है कि तीन मुल्जिमानों में से एक मुल्जिमान को दो अन्य मुल्जिमान की सहमति से फर्द बरामदगी की नकल दी गयी थी सभी को नही दी गयी थी। इस साक्षी द्वारा पुनः यह स्वीकार किया गया है कि पहले विवेचक एस०एस० भारद्धाज द्वारा इस मुकदमें में किसी भी जुर्म का न होना पाते हुए अंतिम रिपोर्ट इस आधार पर लगायी थी कि विवेना के दौरान यह पाया गया कि वादी ने अपने सहयोगी मित्र के कहने पर चचिया ससुर की पुरानी मोटर साइकिल का बीमा क्लेम करने के उददेश्य से मिथ्या अभियोग पंजीकृत कराया गया । इस साक्षी द्वारा यह भी स्वीकार किया गया है कि विवेचक एस०एस० भारद्धाज द्वारा काटे गए पर्चे नं० 1 से 3 में अपराध की पुष्टि होना नही पाया गया था इसी आधार पर अंतिम रिपोर्ट लगायी गयी थी।

12– **अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 4 सी ओ सदर विनय कुमार** ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 10–07–2004 को वह थाना कमालगंज पर बतौर प्रभारी निरीक्षक तैनात था। उक्त दिनांक को उसने रपट नंबर 19 समय 09–50 AM पर एस०आई० गौतम कुमार, महेश चन्द्र व सुखवीर सरकारी जीप से वास्ते पतारसी सुरागसी अभियुक्तगण से संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 550/04 धारा 394, 302, 342 थाने से रवाना हुए तथा ग्राम रजीपुर पहुंचे तो मुखवीर खास ने बताया कि एक महरून रंग की मोटरसाइकिल जो चोरी की है , जरारी रोड पर दरौरा मोड के पास चार व्यक्ति लिये खड़े हैं, जो कहीं उक्त मोटरसाइकिल ले जाने की फिराक में है। मुखविर की बात पर विश्वास करके

उन लोगों ने गवाहान को साथ लेने की कोशिश की तो भलाई बुराई के डर से कोई गवाही देने हेतु चलने के लिए तैयार नहीं हुआ। मजबूरीवश वह लोग मय मुखविर जरारी रोड होते हुए जैसे ही दरोरा मोड़ के करीब पहुंचे, तो मुखविर ने इशारा करके बताया की जो चारो लोग गाड़ी के पास खड़े हैं वही संदिग्ध हैं। अचानक दविश देकर दरोरा मोड़ से करीब तीस कदम की दूरी पर खड़ंजे पर ही समय करीब 01:30 बजे दिन तीन व्यक्तियों को पकड लिया, जिनसे उनका नाम पता पूंछते हुए जामा तलाशी ली गयी । एक व्यक्ति ने अपना नाम अजय सिंह उर्फ बादशाह बताया जिसकी जामा तलाशी से पहने पैंट की फेंट से एक अदद तमंचा 315 बोर जिसका हुलिया मुताविक फर्द था तथा पहनी पेंट की बांयी जेब से एक अदद कारतूस जिसकी पैंदी पर BMMKF लिखा था बरामद हुआ। दूसरे व्यक्ति का नामपता पूंछने के बाद जामा तलाशी ली गयी तो उसने अपना नाम इकरार पुत्र शब्बीर बताया, जिसकी जामा तलाशी में पहने पेंट की दायीं जेब से एक अदद तमंचा 315 बोर जिसका हुलिया मुताविक फर्द था तथा पहने पेंट की दायीं जेब से एक अदद कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। तीसरे व्यक्ति ने अपना नाम कासिम पुत्र गयासुद्दीन बताया जिसकी जामा तलाशी में कुछ बरामद नहीं हुआ था। अभियुक्तगण से बरामद तमंचे व कारतूस को घटनास्थल पर सर्वशील मोहर करते हुए फर्द बरामदगी तैयार की गयी तथा सर्वसंबंधित को पढ़कर सुनाकर हस्ताक्षर बनवाये गये तथा फर्द की नकल सामूहिक रूप से अजय को दी गयी तथा मुल्जिमान के हस्ताक्षर पर अंगूठा निशानी बनवायी गयी। अभियुक्तगण से एक चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद हुई थी।जिसका इं०न० व चेचिस नम्बर का उल्लेख फर्द में अंकित किया था । मोटरसाइकिल के संबंध मे पूंछतांछ की तो तीनो मुल्जिमानो ने बताया कि मोटरसाइकिल क्राक्स कम्पनी की उन लोगो ने अपने चौथे साथी बब्लू मसीह उर्फ राजू के साथ मिलकर मसेनी ओवर ब्रिज के पास लूटी थी। फर्द बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना हाजा पर अभियोग पंजीकृत कराया गया। फर्द बरामदगी की छाया प्रति आज कागज संख्या98B साक्षी को इलेक्ट्रानिक माध्यम से दिखायी, चूंकि मूल फर्द से संबंधित सरकार बनाम इकरार पत्रावली माननीय न्यायालय के आदेशानुसार केस न० 5861/24 न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट फर्रूखाबाद के यहां से तलब कर आज न्यायालय प्रस्तुत हुई उसमे दाखिल का०स० 5A मूल फर्द को व छाया प्रति को इलेक्ट्रानिक माध्यम से दिखायी गयी तो साक्षी ने कहा कि पत्रावली में दाखिल फर्द की छाया प्रति मूल फर्द की छाया प्रति के समान एक है , जिसकी वह पुष्टि करता है। फर्द पर

उसके हस्ताक्षर है जिस पर **प्रदर्श क 2** डाला गया । फर्द पर अन्य पुलिस कर्मियों व मुल्जिमानो के हस्ताक्षर है । इस कार्यवाही के संबंध मे विवेचक ने उसके बयान लिये थे और यह फर्द उसने एस आई गौतम कुमार से बोल बोल कर लिखायी थी। इस मुकदमें के विवेचक एस आई ब्रह्मप्रकाश शर्मा व एफ आई आर लेखक ललित किशोर पाण्डेय के साथ में कोतवाली फतेहगढ़ में साथ साथ तैनात रह चुका है । तैनाती के दौरान उसने इन्हें लिखते पढ़ते देखा है इसलिए वह इनके लेख व हस्ताक्षर पहचानता है। चूकिं पत्रावली मे इन दोनो की मृत्यु आख्या के संबंध मे मुझे अभी जानकारी हुई है इसलिए पत्रावली मे दाखिल का०स० 3A आरोप पत्र व चिक एफ आई आर 4A साक्षी को इलेक्ट्रानिक माध्यम से दिखायी गयी तो साक्षी ने कहा कि इन दोनो प्रपत्रो की वह पुष्टि करता है। आरोप पत्र एस आई ब्रह्मप्रकाश शर्मा व एफ आई आर लेखक ललित किशोर पाण्डेय के लेख व हस्ताक्षर में है। जिसकी वह पुष्टि करता है जिन पर क्रमशः **प्रदर्श क 3 व क 4** डाला गया।

पी०डब्लू० 4 सी०ओ० सदर विनय कुमार ने अपनी जिरह में कथन किया है कि रवानगी जी०डी० लेकर वह आज नही आया है, न ही जी०डी० विनिष्ट होने का कोई प्रमाण पत्र लेकर आया है। गवाही के लिए उसके द्वारा जनता के लोगों से कहा गया था किन्तु कोई तैयार नही हुआ था। उसके द्वारा उनके नाम पते पूछे गए थे किन्तु किसी के द्वारा बताए नही गए थे। गिरफ्तारी के पश्चात उसने थोडी देर जनता के व्यक्तियों का इन्तजार किया किन्तु कोई जनता का व्यक्ति नही आया । दरोगा व सिंगुरापुर गांव से जनता के गवाह को बुलाने के लिए सिपाही भेजा था लेकिन कोई नही आया था। जब तक सिपाही गांव से लौट कर नही आए तब तक वह तालाशी देने के लिए इंतजार करते रहे। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तगण की तलाशी देने से पूर्व पुलिस पार्टी द्वारा आपस में एक दूसरे की तलाशी ली गयी थी किन्तु इस बात का उल्लेख फर्द में करने से छूट गया। बरामद मोटर साइकिल में एक नम्बर प्लेट थी या नही उसे ध्यान नही है। उसे ध्यान है कि पीछे नम्बर प्लेट नही थी। मोटर साइकिल में नम्बर प्लेट न होने की बात भी फर्द में लिखने से छूट गयी । मोटर साइकिल में डिग्गी थी या झोला लटका था या कुछ नही था उसे याद नही है, फर्द में यह बात लिखने से छूट गयी है। मोटर साइकिल के टूल किट में मोटर साइकिल के कोई प्रपत्र नही थे। जामा तलाशी में किसी मुल्जिमान के पास से रूपये , पैसे, खाने की बस्तु , आभूषण अथवा मोबाइल बरामद नही हुए थे।

मैने सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) तथा अभियुक्त के

विद्वान अधिवक्ता को विस्तार पूर्वक सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

अभियोजन का तर्क

13– अभियोजन की तरफ से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि घटना के चक्षुदर्शी घायल साक्षी धनवीर सिंह चौहान पी०डब्लू० 1 तथा घायल वादी संतोष कुमार सचान पी०डब्लू० 2 द्वारा न्यायालय में उनके साथ हुयी लूटपाट एवं मारपीट के सम्बन्ध में विश्वसनीय साक्ष्य दिया गया है। वादी मुकदमा पी०डब्लू० 2 द्वारा अभियुक्त इकरार को न्यायालय में साक्ष्य के दौरान पहचाना गया है। अभियुक्त इकरार एवं उसके दो अन्य साथियों को दिनांक 10–07–04 को कमालगंज पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था तथा उनके पास से घटना में लूटी गयी मोटर साइकिल बरामद की गयी थी। बरामदगी के साक्षी पी०डब्लू० 3 उ०नि० गौतम कुमार व पी०डब्लू० 4 सी०ओ० सदर विनय कुमार द्वारा न्यायालय में साक्ष्य के दौरान अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं उसके पास से लूटी गयी मोटर साइकिल के बरामद होने के सम्बन्ध में विश्वसनीय साक्ष्य दिया गया है। प्रस्तुत प्रकरण के प्रथम विवेचक एस०एस० भारद्वाज के चलने फिरने में असमर्थ होने के कारण साक्ष्य हेतु उपस्थित नही किया जा सका। एस०एस० भारद्वाज द्वारा तैयार किये गये नक्शानजरी को द्वितीयक साक्ष्य के माध्यम से पी०डब्लू० 3 द्वारा साबित किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक द्वारा अंकित की गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट वं कायमी जी०डी० को भी पी०डब्लू० 3 द्वारा द्वितीयक साक्ष्य के माध्यम से साबित किया गया है। अंतिम विवेचक एस० आई० बृम्हप्रकाश शर्मा की मृत्यु हो जाने के कारण उनके द्वारा तैयार किए गए आरोप पत्र को प्रदर्श क 3 व एफ०आई० आर० लेखक ललित किशोर पाण्डेय की मृत्यु हो जाने के कारण प्रथम सूचना रिपोर्ट को प्रदर्श क 4 के रूप में साबित किया गया है। अभियोजन अपने कथानक को साबित करने में पूर्ण रूप से सफल रहा है। अभियोजन कथानक पूर्ण रूप से साबित होता है। अभियुक्तगण को दोषसिद्ध कर कठोर से कठोर दण्ड से दण्डित किया जाए।

बचाव पक्ष का तर्क

14– बचाव पक्ष की तरफ से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज करायी गयी है। वादी अथवा वादी के साथ उपस्थित धनवीर सिंह चौहान द्वारा विवेचक को बयान के दौरान किसी अभियुक्त के नाम , हुलिया या पहचान नही बतायी गयी है। विवेचक द्वारा विवेचना के दौरान पी०डब्लू० 1, 2 से

अभियुक्तगण की शिनाख्त नही करायी गयी है तथाकथित लूटे गए सोने की चैन, अंगूठी, मोबाइल व रूपये बरामद नही किए जा सके है। जिस मोटर साइकिल को बरामद किया जाना दर्शाया गया है उक्त मोटर साइकिल का पंजीयन नम्बर क्या था इस सम्बन्ध में कोई भी साक्ष्य अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत नही किया गया है। विवेचक द्वारा विवेचना के दौरान इस सम्बन्ध में कोई भी साक्ष्य एकत्रित नही किया गया है जो मोटर साइकिल अभियुक्त के पास से बरामद होना दर्शायी गयी है उस मोटर साइकिल का पंजीयन नम्बर तहरीर में लिखाए गए पंजीयन नम्बर UP 82 D 3366 ही है। पी०डब्लू० 1,2 द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि घटना के दौरान अंधेरा था । वादी एवं पी०डब्लू० 2 द्वारा स्वंय की तहरीर एवं विवेचक को दिए गए बयानों में लूटपाट करने वाले व्यक्तियों की सूरत शिनाख्त नही बतायी गयी है। पी०डब्लू० 2 द्वारा स्वंय स्वीकार किया गया है कि जब अभियुक्त गिरफ्तार किए गए थे तब थाने की लॉकप में उसे अभियुक्तगण को दिखाया गया था । पी०डब्लू० 2 द्वारा यह भी स्वीकार किया गया है कि जब वह न्यायालय में साक्ष्य हेतु आया था तब उसे इस बात की भी जानकारी थी कि आज इस मुकदमें के अभियुक्तगण भी न्यायालय में उपस्थित है। पी०डब्लू० 2 द्वारा यह भी स्वीकार किया गया है कि थाने में दिखाए जाने के बाद उसके द्वारा अभियुक्त को कभी नही देखा गया। बचाव पक्ष द्वारा उपरोक्त आधार पर यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त इकरार को पूर्व में ही थाने में दिखा दिया गया था तथा बाद में न्यायालय में साक्ष्य हेतु उपस्थित आने पर अभियोजन द्वारा अभियुक्त इकरार को पी०डब्लू० 2 का साक्ष्य अंकित कराने के पहले दिखा दिय गया तथा इसी आधार पर न्यायालय में साक्ष्य के दौरान इकरार को पहचाना गया। बचाव पक्ष द्वारा इस तर्क पर भी बल दिया गया है कि साक्ष्य के दौरान न्यायालय में पी०डब्लू० 2 अभियुक्तगण इकरार की पहचान पूर्ण रूप से संदिग्ध है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि पी०डब्लू० 1,2 द्वारा स्वंय के चोट आना बताया गया है किन्तु अभियोजन की तरफ से पी०डब्लू० 1,2 की आहत आख्या को न्यायालय में साबित नही कराया गया है। प्रथम विवेचक एस०एस० भारद्धाज द्वारा विवेचना के दौरान अस्पताल के फार्मासिस्ट द्वारा उसका बयान लिया गया था जिसमें फार्मासिस्ट द्वारा विवेचक को बताया गया था कि पी०डब्लू० 1,2 का चिकित्सीय परीक्षण अस्पताल में किये जाने का कोई भी ब्योरा अस्पताल के रजिस्टरो में दर्ज नही है, इसी आधार पर पूर्व विवेचक द्वारा अंतिम रिपोर्ट लगायी गयी थी। आरोप लगाने वाले विवेचक द्वारा भी आरोप पत्र प्रेषित किए जाने के पूर्व

पी०डब्लू० 1,2 के चिकित्सीय प्रपत्रों को एकत्र नही किया गया। घटना पूर्ण रूप से संदिग्ध है। महत्वपूर्ण साक्षी ओ०पी० बाबू को परीक्षित नही कराया गया है। अभियोजन अपने कथाने को साबित करने में पूर्ण रूप से असफल रहा है। अतः अभियुक्त दोषमुक्त होने योग्य है।

पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का विश्लेषण

15– प्रस्तुत प्रकरण में यह निष्कर्ष पारित किया जाना है कि अभियोजन पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के माध्यम से अभियुक्त के विरूद्व आरोपित आरोप अन्तर्गत धारा 394,412 भा०द० सं० के तहत युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है अथवा नही।

16– अभियोजन कथानक के अनुसार प्रस्तुत प्रकरण में घटना के दो चुटहिल साक्षी वादी मुकदमा संतोष कुमार सचान एवं धनवीर सिंह चौहान है जिनको कि क्रमशः पी०डब्लू० 2 व पी०डब्लू० 1 के रूप में परीक्षित कराया गया है।

17– प्रस्तुत प्रकरण की तहरीर वादी मुकदमा संतोष कुमार सचान द्वारा अज्ञात में थाने पर दी गयी है जिसके आधार पर मुकदमा कायम किया गया है। स्वंय की तहरीर में वादी मुकदमा द्वारा उसके एवं धनवीर सिंह चौहान के साथ 6 अभियुक्तों द्वारा लूटपाट किए जाने तथा मारपीट किए जाने का कथन किया गया है। बदमाशों द्वारा की गयी मारपीट में स्वंय का तथा धनवीर सिंह चौहान का घायल होना भी कहा गया है। घटना के दौरान बदमाशों द्वारा वादी की सोने की चैन , सोने की अंगूठी व 17500/– रूपये व एक मोबाइल लूट लिया जाना कहा गया है तथा धनवीर सिंह चौहान के 700/– रूपये लूटे जाने का कथन किया गया है। वादी द्वारा स्वंय की तहरीर में अज्ञात बदमाशों का हुलिया आदि नही बताया गया है। बदमाशों द्वारा मोटर साइकिल सं० UP 82 D 3367 को भी लूट कर भाग जाना कहा गया किन्तु मोटर साइकिल की कम्पनी , मॉडल एवं रंग का विवरण नही दिया गया है। वादी द्वारा स्वंय के लूटे गए मोबाइल की भी कम्पनी , माडल एवं रग का विवरण तहरीर में अंकित नही किया गया है।

18– पी०डब्लू० 1 धनवीर सिंह चौहान द्वारा न्यायालय में साक्ष्य के दौरान यह स्पष्ट कथन किया गया है कि वह घटना के समय घटना करने वाले बदमाशों को रात्रि एवं अंधेरा होने के कारण देख नही पाया था जिस कारण वह घटना करने वाले बदमाशों को

पहचान नही सकता। वह अन्दाजे से भी नही बता सकता है कि घटना करने वाले बदमाश किस उम्र के रहे होगें। पी०डब्लू० 1 से अभियुक्त की शिनाख्त विवेचना के दौरान नही करायी गयी है। पी०डब्लू० 1 द्वारा न्यायालय में साक्ष्य के दौरान भी अभियुक्त को पहचानने से स्पष्ट रूप से इंकार किया गया है। पी०डब्लू० 1 धनवीर सिंह चौहान के साक्ष्य से अभियुक्त इकरार की घटना में संलिप्तता एवं पहचान साबित नही होती है।

19– वादी मुकदमा पी०डब्लू० 2 संतोष कुमार सचान द्वारा स्वंय की तहरीर में किसी भी अभियुक्त को नामित नही किया गया है तथा न ही तहरीर में अभियुक्तगण की हुलिया आदि का वर्णन किया गया है। पी०डब्लू० 2 द्वारा विवेचक को दिए गए बयान में भी अभियुक्तगण की हुलिया नही बतायी गयी है। न्यायालय में मुख्य परीक्षा के दौरान पी०डब्लू० 2 द्वारा कटघरे में उपस्थित अभियुक्त इकरार एवं मो० कासिम की घटना कारित करने वालों के रूप में पहचान की गयी किन्तु जिरह के दौरान यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बदमाश जिस खेत में उसे ले गए थे उसमें घनघोर अंधेरा था जिस कारण वह नही बता सकता है कि किस बदमाश ने चैन लूटी तथा किसने अंगूठी लूटी , न ही वह यह बता सकता है कि 6 बदमाशों में से कितने गोरे थे तथा कितने काले थे। पी०डब्लू० 2 द्वारा स्वंय की जिरह में यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है कि घटना के बाद अभियुक्तगण की गिरफ्तारी की सूचना मिलने पर वह थाने गया था, थाने के अन्दर लॉकप में मुल्जिमानों को देखा था, थाने में पुलिस वालों ने उसे कुछ बदमाशों के नाम बताए थे जिनमें से एक का नाम कासिम बताया था अन्य बदमाशों के नाम उसे अब याद नही है। यह भी स्पष्ट स्वीकार किया गया है जिस समय पुलिस ने बदमाशों को लॉकप में उसे दिखाया था उस समय उनके मुंह खुले हुए थे । यह भी कहा गया है कि घटना के तीन चार महीने बाद लॉकप में मुल्जिमानों को देखने के बाद उसने उन्हें कभी नही देखा। पी०डब्लू० 2 द्वारा स्वंय की जिरह में यह भी स्वीकार किया गया है कि गवाही के दिन वह न्यायालय में 12–1 बजे के मध्य आ गया था तथा उसे जानकारी हो गयी हो गयी थी उसके मुकदमें के अभियुक्त आज न्यायालय में मौजूद है। इस साक्षी द्वारा यह भी स्वीकार किया गया है कि विवेचना के दौरान अभियुक्तगण की शिनाख्त मजिस्ट्रेट के समक्ष उससे नही करायी गयी थी। उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट हो जाता है कि पी०डब्लू० 2 संतोष कुमार सचान को गिरफ्तारी के पश्चात तीनो गिरफ्तार शुदा अभियुक्तगण इकरार, कासिम व अजय सिंह को लॉकप में दिखाया गया

था तथा न्यायालय में साक्ष्य के दौरान भी उसे बताया गया था कि अभियुक्तगण कासिम व इकरार आज न्यायालय में उपस्थित है। पी०डब्लू० 2 संतोष कुमार सचान अभियुक्त इकरार घटना के पहले नही जानता था, घटना के समय अंधेरा होने के कारण पी०डब्लू० 2 यह नही देख पाया कि किस बदमाश ने क्या लूटा था, न ही यह देख पाया था कि लूटपाट करने वाले बदमाश के रंग गोरे अथवा काले थे। न्यायालय में प्रथम बार घटना दिनांकित 22-05-04 के लगभग 18 वर्ष बाद न्यायालय में अभियुक्त इकरार की पहचान किया जाना पूर्ण रूप से संदिग्ध है, विशेष रूप से तब जबकि अभियुक्त इकरार को लॉकप में तथा न्यायालय में साक्ष्य के दौरान साक्षी को दिखा दिया गया हो। पी०डब्लू० 2 संतोष कुमार सचान द्वारा अभियुक्त इकरार की न्यायालय में पहचान किया जाना इस कारण भी संदिग्ध हो जाता है कि घटना स्थल पर उपस्थित अन्य साक्षी पी०डब्लू० 1 धनवीर सिंह चौहान द्वारा घटना के समय अंधेरा होने के कारण अभियुक्तगण को पहचान न पाने का स्पष्ट साक्ष्य दिया गया है। विधि का स्थापित सिद्धान्त है कि घटना के अत्यधिक विलम्ब के पश्चात न्यायालय मे प्रथम बार किसी अभियुक्त की पहचान किया जाना अत्यन्त ही कमजोर प्रकृति का साक्ष्य है, विशेष रूप से तब जबकि उक्त अभियुक्त की शिनाख्त विवेचना के दौरान साक्षी से न करायी गयी हो तथा साक्षी उक्त अभियुक्त को घटना के पहले से जानता पहचानता न हो एवं घटना के दौरान भी क्षणिक रूप से अभियुक्त को देख गया हो। प्रस्तुत प्रकरण में पी०डब्लू० 2 द्वारा प्रथम बार अभियुक्त इकरार की न्यायालय में साक्ष्य के दौरान की गयी पहचान पूर्ण रूप से संदिग्ध है तथा इस आधार मात्र पर अभियुक्त इकरार की घटना में संलिप्तता एवं पहचान साबित नही होती है।

20- प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक 10-07-04 को अभियुक्तगण इकरार , मो० कासिम एवं अजय सिंह को एक क्रक्स महरूम रंग की बिना नम्बर प्लेट की मोटर साइकिल के साथ पकडा गया था । उक्त मोटर साइकिल के इंजन न० व चेसिस नम्बर का विवरण फर्द बरामदगी में दिया गया है किन्तु मोटर साइकिल के पंजीकरण नम्बर का विवरण फर्द में अंकित नही किया गया। प्रस्तुत प्रकरण की तहरीर में वादी द्वारा घटना में लूटी गयी मोटर साइकिल के पंजीयन नम्बर UP 82 D 3367 बताया गया है। अभियोजन द्वारा साक्ष्य के दौरान तथा विवेचक द्वारा विवेचना के दौरान इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का साक्ष्य एकत्रित नही किया गया है कि दिनांक 10-07-04 को अभियुक्तगण के पास से बरमाद की गयी

मोटर साइकिल जिसका इंजन नम्बर व चेसिस नं० का उल्लेख फर्द में किया गया है, का रजिस्ट्रेशन नम्बर प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित रजिस्ट्रेशन नम्बर ही था। तहरीर में वादी द्वारा मोटर साइकिल की कम्पनी एवं मॉडल का नाम अंकित नही किया गया है जबकि स्वंय के साक्ष्य में लूटी गयी मोटर साइकिल को हीरो होण्डा कम्पनी का बताते हुए स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो मोटर साइकिल लूटी गयी थी वह हीरो होण्डा कम्पनी की लाल रंग की मोटर साइकिल थी वह अपनी तहरीर में लूटी गयी मोटर साइकिल का कम्पनी का नाम व मॉडल नही लिख पाया था। दिनांक 10-07-04 को बरामद की गयी मोटर साइकिल यामहा क्रक्स है। उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट हो जाता है कि अभियोजन यह साबित करने कें पूर्ण रूप से असफल रहा है कि प्रस्तुत प्रकरण में लूटी गयी मोटर साइकिल, पंजीयन संख्या UP 82 D 3367 को ही दिनांक 10-07-04 को अभियुक्तगण के पास से बरामद किया गया था। मोटर साइकिल की बरामदगी दोपहर में की गयी है किन्तु उक्त बरामदगी में किसी भी जनता के साक्षी को शामिल नही किया गया है। पुलिस पार्टी द्वारा बरामदगी के पूर्व आपस में तलाशी लिए जाने का जिक्र भी फर्द में नही किया गया है। फर्द में इस बात का भी जिक्र नही किया गया है कि बरामद की गयी मोटर साइकिल में नम्बर प्लेट नही थी। विवेचक द्वारा विवेचना के दौरान बरामद की गयी मोटर साइकिल के पंजीयन संख्या को ज्ञात करने का प्रयास नही किया गया है। उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुचती है कि अभियोजन यह साबित करने में पूर्ण रूप से असफल रहा है कि अभियुक्तगण के पास से जिस मोटर साइकिल को बरामद किया जाना दर्शाया गया है वह मोटर साइकिल प्रस्तुत प्रकरण में लूटी गयी मोटर साइकिल ही है। अतः मोटर साइकिल की बरामदगी के आधार पर अभियुक्त इकरार की संलिप्तता एवं पहचान साबित नही होती है। प्रस्तुत प्रकरण में लूटा गया अन्य कोई माल अभियुक्तगण से बरामद नही किया गया है।

21- तहरीर में तथा न्यायालय में हुए साक्ष्य के दौरान धनवीर सिंह चौहान एवं संतोष कुमार सचान को घटना के दौरान मारपीट कर घायल कर दिया जाना कहा गया है किन्तु धनवीर सिंह चौहान एवं संतोष कुमार सचान के मेडिकल प्रपत्रों को न तो विवेचक द्वारा विवेचना के दौरान एकत्रित किया गया है, न ही मेडिकल करने वाले चिकित्साधिकारी का बयान लिया गया है तथा न ही साक्ष्य के दौरान अभियोजन द्वारा मेडिकल प्रपत्रों को न्यायालय में साबित कराया गया है। घटना के दौरान साक्षियों को चोट आने का तथ्य इस

कारण भी संदेहास्पद हो जाता है कि पी०डब्लू० 1 द्वारा स्वंय की जिरह में यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है कि वादी मुकदमा संतोष कुमार सचान के कोई चोट नही आयी थी। पी०डब्लू० 2 वादी मुकदमा संतोष कुमार सचान द्वारा स्वंय की जिरह में यह स्पष्ट रूप से नही कहा गया है कि उसका चिकित्सीय परीक्षण अस्पताल में कराया गया था बल्कि यह कथन किया गया है कि उसे ध्यान नही है कि उसका डाक्टरी मुआयना अस्पताल में हुआ था अथवा नही। प्रथम विवेचक जिसके द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में घटना को फर्जी पाते हुए अंतिम रिपोर्ट लगायी थी , ने लोहिया अस्पताल के फार्मासिस्ट गजेन्द्र सिंह का बयान अंकित किया था । फार्मासिस्ट द्वारा प्रथम विवेचक एस०एस० भारद्वाज को यह बताया गया था कि धनवीर सिंह चौहान एवं संतोष कुमार सचान का मेडिकल परीक्षण दिनांक 22/23–05–04 को लोहिया अस्पताल में किए जाने के सम्बन्ध में अस्पताल के प्रपत्रों में कोई ब्योरा अंकित नही है। आरोप पत्र दाखिल करने वाले द्वितीय साक्षी एस आई ब्रह्म प्रकाश शर्मा द्वारा विवेचना के दौरान इस तथ्य का पता लगाने का प्रयास नही किया गया हैकि घटना में दर्शाए गए चुटहिल संतोष कुमार सचान एवं धनवीर सिंह चौहान का चिकित्सीय परीक्षण जिला अस्पताल में हुआ है अथवा नही। उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुचती है कि घटना के दौरान वादी मुकदमा संतोष कुमार सचान तथा उसके साथ उपस्थित धनवीर सिंह चौहान के किसी प्रकार की चोट आना पूर्ण रूप से संदेहास्पद है।

22– वादी मुकदमा पी०डब्लू० 2 द्वारा अपनी तहरीर में स्वंय का मोबाइल जिसमें 9415042355 नम्बर का सिम पडा था, लूटा जाना अंकित किया गया है किन्तु तहरीर में उक्त मोबाइल की कम्पनी एवं माडल का ब्योरा अंकित नही किया गया है। वादी मुकदमा पी०डब्लू० 2 द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में ही यह स्वीकार किया गया है कि जिस नम्बर का सिम लूटे गए मोबाइल में लगा था उसी नम्बर का सिम 18 वर्ष बाद आज भी उसके पास है। वादी मुकदमा यह स्पष्ट नही कर सका कि जब मोबाइल एवं सिम अभियुक्तगण द्वारा घटना के समय लूट लिया गया था तथा मोबाइल बरामद नही हुआ है तब उसके पास उसी नम्बर का सिम कैसे आया। वादी द्वारा लूटपाट की घटना के बाद लूटे गए सिम के नम्बर का ही दूसरा सिम कम्पनी से निकलवाए जाने के सम्बन्ध में कोई भी मौखिक अथवा लिखित साक्ष्य न्यायालय में पेश नही किया गया है। वादी द्वारा लूटे गए मोबाइल की कम्पनी,

मॉडल एवं रंग नही बताया गया है। घटना के दौरान लूटा गया अन्य माल सोने की चैन, सोने की अंगूठी तथा रूपये बरामद नही हो सके है। न्यायालय में साक्ष्य के दौरान तथाकथित बरामद मोटर साइकिल को प्रस्तुत नही किया जा सका है।

23– प्रस्तुत प्रकरण में प्रथम विवेचक एस०एस० भारद्वाज द्वारा घटना को फर्जी पाते हुए अंतिम रिपोर्ट लगायी गयी थी जिसे क्षेत्राधिकारी द्वारा निरस्त करते हुए अग्रिम विवेचना किए जाने का आदेश पारित किया गया। क्षेत्राधिकारी के आदेश पर द्वितीय विवेचक एस० आई ब्रह्म प्रकाश शर्मा द्वारा विवेचना सम्पादित कर आरोप न्यायालय में प्रेषित किया गया किन्तु विवेचना के दौरान वादी मुकदमा संतोष कुमार सचान एवं धनवीर सिंह चौहान के आयी चोटों की पुष्टि करने हेतु चिकित्सीय प्रपत्र एकत्रित नही किए गए , न ही अभियुक्तगण से बरामद मोटर साइकिल के पंजीयन संख्या को ज्ञात किया गया। वादी मुकदमा द्वारा स्वंय की मुख्य परीक्षा में घटना के बाद घटना के सम्बन्ध में ओ०पी० बाबू को मसेनी चौराहे में स्थित पी०सी०ओ० से फोन किया जाना तथा ओ०पी० बाबू के आने पर उनके साथ थाने जाकर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया जाना बताया गया है। प्रथम विवेचक द्वारा फार्मासिस्ट गजेन्द्र एवं ओ०पी० बाबू का बयान पर्चा नं० 2 में लिया गया है जिसमें ओ०पी० बाबू द्वारा घटना को असत्य बताते हुए वादी मुकदमा द्वारा उसे घटना के बारे में फोन द्वारा बताए जाने स्पष्ट रूप से इंकार किया गया है। फार्मासिस्ट गजेन्द्र द्वारा लोहिया अस्पताल के रिकार्ड में प्रस्तुत प्रकरण के चुटहिलों का मेडिकल किया जाना अंकित न होना प्रथम विवेचक को बताया गया है। द्वितीय विवेचक द्वारा न तो फार्मासिस्ट गजेन्द्र सिंह का बयान अंकित किया गया है तथा न ही ओ०पी० बाबू से पूछतांछ की गयी है। स्पष्ट हो जाता है कि द्वितीय विवेचक द्वारा बिना कोई साक्ष्य एकत्रित किए हुए प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्व आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया । द्वितीय विवेचक द्वारा उन आधारो पर विवेचना नही की गयी है जिसके आधार पर प्रथम विवेचक द्वारा अंतिम रिपोर्ट लगाते हुए केस को फर्जी पाया गया था। द्वितीय विवेचक को चाहिए था कि वह प्रथम विवेचक द्वारा एकत्र किए गए साक्ष्यों का पुनः विश्लेषण करता तथा यदि उक्त साक्ष्य गलत पाए जाते तब अन्य साक्ष्य एकत्रित करने के पश्चात आरोप पत्र प्रेषित करता। द्वितीय विवेचक द्वारा विवेचना के दौरान स्वंय के मस्तिष्क का प्रयोग किए बना सरसरी तौर पर सतही विवेचना करते हुए आरोप पत्र प्रेषित कर दिया गया।

24– उपरोक्त समस्त विश्लेषण के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुचती है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन अभियुक्त इकरार की घटना में संलिप्तता एवं पहचान को साबित करने में पूर्ण रूप से असफल रहा है जिस कारण अभियुक्त इकरार दोषमुक्त किए जाने योग्य है।

आदेश

25– विशेष सत्र परीक्षण सं० 154/2004 में अभियुक्त इकरार को आरोपित अपराध मु०अ०स० 341/2004, अन्तर्गत धारा 394,412 भा० द०सं० थाना–फतेहगढ के मामलें में दोष मुक्त किया जाता है।

अभियुक्त जमानत पर है, उसके जमानत नामे एवं बन्ध पत्र निरस्त किए जाते है तथा प्रतिभूगण को उसके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वे धारा 437A द०प्र०स० का अनुपालन एक सप्ताह में करें।

दिनांक– 20.07.2026

(शैलेन्द्र सचान)
तृतीय अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र,
फर्रूखाबाद।
J.O.Code–UP2406

यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक– 20.07.2026

(शैलेन्द्र सचान)
तृतीय अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र,
फर्रूखाबाद।
J.O.Code–UP2406